



2026:AHC:56723

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 275/2026

जीसान

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

:

सामी उल्लाह खान

विपक्षी के अधिवक्ता

:

चमन आरा, सरकारी अधिवक्ता

कोर्ट नंबर- 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. माननीय एजीए ने तर्क दिया कि वर्तमान आवेदन की सूचना विपक्षी संख्या 2-शिकायतकर्ता को 19.01.2026 को और विपक्षी संख्या 4-बाल कल्याण समिति को 06.01.2026 को दी जा चुकी है। हालांकि, उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई प्रतिवाद दाखिल किया गया है। विद्वान एजीए द्वारा प्रस्तुत प्राप्त अनुमोदनों को रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए श्री एन0के0 शर्मा की दलीलें सुनी गईं। विपक्षी पार्टी संख्या 3 की अधिवक्ता सुश्री चमन आरा उपस्थित नहीं थीं।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. वर्तमान जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 552/2025, धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस और धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम, पुलिस स्टेशन धनघाटा, जिला संत कबीर नगर में मुकदमे की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह घटना कथित तौर पर 12.09.2025 को घटी थी। पीड़िता अगले दिन यानी 13.09.2025 को अपने माता-पिता के घर लौट आई। प्रथम सूचना रिपोर्ट 24.10.2025 को दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। पहली सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक पर आरोप है कि उसने पीड़ित को जबरन कार से लखनऊ ले गया और अगले दिन पीड़ित वापस लौट आया। हालांकि, पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत अपने बयानों में कहा कि आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया था। यह तर्क दिया जाता है कि पहली सूचना रिपोर्ट और पीड़ित के बयानों में धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत विसंगतियां इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय बनाती हैं। पीड़ित बालिग है। अस्थि-निर्माण परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की उम्र 16 वर्ष थी। आयु निर्धारण में त्रुटि की सीमा लगभग दो वर्ष है और इस स्तर पर इसे आवेदक के पक्ष में माना जाना चाहिए। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आवेदक 29.10.2025 से जेल में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान एजीए ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है, लेकिन वे रिकॉर्ड में मौजूद उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित रूप से दर्ज की गई है। अस्थि

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निर्माण परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की उम्र 16 वर्ष थी। पहली सूचना रिपोर्ट और पीड़ित के बयानों में विसंगतियां हैं जबकि यह बयान धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज किए गए हैं। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, आवेदक चार महीने से अधिक समय से हिरासत में है और मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित कारण नहीं बताया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह सबूतों से छेड़छाड़ करेगा, मुकदमे में देरी करेगा या गवाह को डराएगा। मामले की खूबियों पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. उपरोक्त मामले में आरोपी **जीसान** को न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह:

- (i) अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;
- (ii) अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।

19 मार्च, 2026

एलबीएम/-

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"